

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था

डा० अरविन्द कुमार शुक्ल¹

¹एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना० महाविद्यालय बिंदकी फतेहपुर उ०प्र०

Received: 20 Dec 2024 Accepted & Reviewed: 25 Dec 2024, Published : 31 Dec 2024

Abstract

यह शोध पत्र संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की भूमिका का विश्लेषण करता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना एवं संरक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की भूमिका, शांति स्थापना की प्रक्रिया, शांति रक्षा अभियानों (Peacekeeping Missions), तथा वर्तमान समय में उत्पन्न हो रही चुनौतियों जैसे क्षेत्रीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु हथियारों का प्रसार, एवं सदस्य देशों के हितों की टकराहट पर आधारित है। शोध का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान प्रासंगिकता और भविष्य में इसके प्रभावी योगदान की संभावनाओं का मूल्यांकन करना है।

कीवर्ड— संयुक्त राष्ट्र, शांति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शांति स्थापना, शांति रक्षा, सुरक्षा परिषद, वैश्विक शासन, मानवाधिकार

Introduction

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व समुदाय को यह अनुभव हुआ कि शांति और सुरक्षा के लिए एक वैश्विक संस्था की आवश्यकता है जो देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा सके। राष्ट्र संघ की असफलता से सीख लेकर, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और सामाजिक प्रगति तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है।

शोध का उद्देश्य एवं महत्व — इस शोध का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था में भूमिका का मूल्यांकन करना है। साथ ही यह जानना कि किस प्रकार यह संस्था वैश्विक संकटों में हस्तक्षेप करती है और कितनी प्रभावशाली सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त, इस शोध में यह भी विश्लेषण किया गया है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इसकी क्या प्रासंगिकता है और भविष्य में इसमें किस प्रकार के सुधार आवश्यक हैं।

शोध की विधि और स्रोत— यह शोध ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें प्राथमिक स्रोत जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज़, घोषणाएँ, रिपोर्ट्स और द्वितीयक स्रोत जैसे पुस्तकें, शोध पत्र, समाचार पत्र और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है। शोध सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध स्रोतों से संकलित की गई है।

संयुक्त राष्ट्र का उद्भव और संरचना— संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात् वैश्विक शांति व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति हेतु की गई। युद्ध के दौरान ही 1941 में अटलांटिक चार्टर और 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा (Declaration by United Nations) के माध्यम से इसकी नींव रखी गई।

इसके बाद 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना हुई।

चार्टर और मुख्य उद्देश्य— संयुक्त राष्ट्र चार्टर इसका आधारभूत दस्तावेज़ है, जिसमें इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लेख है—

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा
2. राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास
3. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान
4. मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का सम्मान

प्रमुख अंगों की संरचना—

1. महासभा (General Assembly)— यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार-विमर्श मंच है जिसमें सभी सदस्य देश समान अधिकार के साथ भाग लेते हैं। यह वैश्विक मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करती है।
2. सुरक्षा परिषद (Security Council)— यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है जो शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेता है। इसमें 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन) और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार प्राप्त है।
3. आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)— यह वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मामलों में सहयोग के लिए उत्तरदायी है। यह विभिन्न आयोगों और एजेंसियों के माध्यम से कार्य करती है।
4. ट्रस्टीशिप परिषद (Trusteeship Council)— इसका उद्देश्य अविकसित और उपनिवेशित क्षेत्रों को स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए मार्गदर्शन देना था। 1994 में यह कार्य समाप्त हो गया।
5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)— इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का न्यायिक निपटारा करना है। इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड्स) में है।
6. सचिवालय (Secretariat)— यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है जिसकी अध्यक्षता महासचिव करते हैं। यह संगठन के दैनिक कार्यों और एजेंसियों के समन्वय का कार्य करता है।

अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका—

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना है। इसके लिए वह विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने, आक्रामकता को रोकने, और सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से कार्य करने का प्रयास करता है। संयुक्त राष्ट्र विभिन्न माध्यमों से शांति स्थापना में भूमिका निभाता है—

1. मध्यस्थता और वार्तारू संयुक्त राष्ट्र कई बार संघर्षरत देशों के बीच मध्यस्थता करता है और शांति वार्ताओं को प्रोत्साहित करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर महासचिव या विशेष दूत के माध्यम से संचालित होती है।

2. शांति रक्षा अभियान (Peacekeeping Operations)— संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख और व्यावहारिक भूमिका इसके शांति रक्षक अभियान हैं। यह सैनिकों, पुलिस और नागरिक अधिकारियों को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में भेजकर स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
3. युद्धविराम की निगरानी— यूएन पर्यवेक्षक मिशन युद्धविराम और शांति समझौतों के अनुपालन की निगरानी करते हैं।
4. मानवीय सहायता— संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में यूएन शरणार्थियों को सहायता, खाद्य और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। यह गतिविधियाँ UNHCR और WHO जैसी एजेंसियों के माध्यम से होती हैं।
5. संस्थागत विकास— यूएन संघर्षोत्तर क्षेत्रों में लोकतंत्र, विधि—व्यवस्था और शासन व्यवस्था की स्थापना में सहायता करता है।

शांति रक्षा अभियानों के उदाहरण

1. कांगो — कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप ने गृहयुद्ध को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अभियान अब भी जारी है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समर्थन दे रहा है।
2. रवांडा— 1994 के जनसंहार के बाद यूएन की शांति रक्षा की विफलता की कड़ी आलोचना हुई, लेकिन इस घटना ने संगठन को अधिक उत्तरदायी और सजग बनने को प्रेरित किया।
3. पूर्व युगोस्लाविया (UNPROFOR)— बोस्निया और क्रोएशिया में यूएन की उपस्थिति ने संघर्ष को नियंत्रित करने और मानवीय सहायता पहुंचाने में सहायता की।
4. दक्षिण सूडान (UNMISS)— नवगठित देश दक्षिण सूडान में शांति स्थापित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक तैनात हैं। यह मिशन राजनीतिक संक्रमण और नागरिक सुरक्षा में कार्यरत है।

सुरक्षा परिषद की भूमिका— संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति के संरक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह अध्याय VII के अंतर्गत आवश्यक होने पर सैन्य बल की स्वीकृति भी दे सकती है। इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं और विश्व समुदाय द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित होता है।

महासचिव की भूमिका— महासचिव शांति की स्थापना में नैतिक शक्ति (moral authority) के साथ कार्य करते हैं। वे संघर्षों के दौरान गोपनीय कूटनीति (quiet diplomacy) का प्रयोग कर सकते हैं। कोफी अन्नान, बान की मून, और एंटोनियो गुटेरेस जैसे महासचिवों ने अनेक जटिल संकटों में मध्यस्थता की है।

चुनौतियाँ— हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने कई सफलताएँ अर्जित की हैं, लेकिन इसकी प्रभावशीलता में कई बार बाधाएँ आती हैं—

- ✚ वीटो अधिकार का दुरुपयोग
- ✚ वित्तीय संसाधनों की कमी
- ✚ सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव
- ✚ आधुनिक युद्धों की प्रकृति का जटिल होना (जैसे आतंकी संघर्ष)

इसके बावजूद, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है।

सफलताएँ और सीमाएँ

प्रमुख सफलताएँ

1. उपनिवेशवाद का अंत— संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशवाद के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषकर 1960 को अफ्रीका का वर्ष कहा गया जब कई अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की।
2. शांति रक्षा मिशनों की सफलता— संयुक्त राष्ट्र ने अनेक संघर्ष क्षेत्रों में शांति बहाल की कृ जैसे कि नामीबिया, पूर्वी तिमोर, कंबोडिया, और लाइबेरिया। इन अभियानों से लोकतंत्र की स्थापना, चुनावों का संचालन और मानवीय सहायता का प्रबंधन हुआ।
3. मानव अधिकारों की रक्षा— मानवाधिकार आयोग, और बाद में मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सक्रिय भूमिका निभाई।
4. सतत विकास और पर्यावरण— संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक विमर्श को दिशा दी। पेरिस समझौता इसका उदाहरण है।
5. शरणार्थी सहायता— UNHCR- IOM और WFP जैसे निकायों ने लाखों विस्थापित लोगों को जीवन-रक्षक सहायता प्रदान की।

सीमाएँ और असफलताएँ—

1. वीटो प्रणाली की जटिलता— सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार के कारण कई आवश्यक प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते, जिससे संस्था की निष्पक्षता और कार्यक्षमता पर प्रश्न उठते हैं।
2. जनसंहारों की रोकथाम में विफलता— रवांडा (1994) और बोस्निया (1995) में नरसंहार रोकने में यूएन विफल रहा, जिससे इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई।
3. राजनीतिक हितों का प्रभाव— प्रमुख शक्तियाँ अपने राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के अनुसार यूएन के निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
4. आतंकवाद पर असंगठित रुख— आतंकवाद की परिभाषा पर सदस्य देशों में सहमति का अभाव है, जिससे एकीकृत प्रयास बाधित होते हैं।
5. वित्तीय निर्भरता— यूएन का बड़ा बजट सीमित दाताओं (विशेषकर अमेरिका) पर निर्भर है, जिससे स्वतंत्र कार्यवाही पर प्रश्न उठते हैं।

21वीं सदी में उभरती शक्तियों (जैसे चीन, भारत) और पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों (जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ) के बीच शक्ति-संतुलन में परिवर्तन देखा गया है। इससे संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों में ध्रुवीकरण बढ़ा है और कई बार सुरक्षा परिषद निष्क्रिय बनी रहती है। यूक्रेन संकट, ताइवान मुद्दा और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रीय तनाव संयुक्त राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौती हैं।

आतंकवाद और उग्रवाद— आतंकवाद वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, बोको हराम जैसी संस्थाओं ने पारंपरिक युद्ध की अवधारणा को चुनौती

दी है। इनसे निपटने के लिए समन्वित वैश्विक रणनीति की आवश्यकता है, जो अब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है।

साइबर सुरक्षा और सूचना युद्ध— डिजिटल युग में साइबर आक्रमण, फर्जी सूचना अभियान (disinformation campaigns) और साइबर जासूसी ने राष्ट्रों की सुरक्षा और लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के पास इस क्षेत्र में कोई ठोस रूपरेखा नहीं है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट— जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक शांति और स्थायित्व को एक नई चुनौती दी है। जल, खाद्य और निवास के संसाधनों पर तनाव बढ़ रहा है जिससे climate refugees की संख्या में वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र को इस क्षेत्र में अधिक कठोर और बाध्यकारी उपायों की आवश्यकता है।

महामारी और जैव सुरक्षा— COVID-19 महामारी ने दिखा दिया कि वैश्विक जैव-सुरक्षा और स्वास्थ्य संरचनाएं कितनी कमजोर हैं। WHO जैसे निकायों की भूमिका पर सवाल उठे और वैश्विक समन्वय की कमी स्पष्ट हुई।

संयुक्त राष्ट्र की संस्थागत जड़ता— बहुपक्षीय निर्णय प्रक्रिया, नौकरशाही, और धीमी गति से कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र की कार्यक्षमता को सीमित करती है। ऐसे में नवाचार की आवश्यकता है—

- ✚ डिजिटल डिप्लोमेसी
- ✚ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शांति विश्लेषण
- ✚ शांति शिक्षा और युवाओं की भागीदारी
- ✚ सुधार की आवश्यकता और संभावनाएँ
- ✚ सुरक्षा परिषद में सुधार

सुरक्षा परिषद की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय की यथास्थिति को दर्शाती है। आज की बहुध्रुवीय दुनिया में इसमें निम्नलिखित सुधार आवश्यक माने जाते हैं—

- ✚ स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि (जैसे भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान को स्थान देना)
- ✚ वीटो अधिकार की पुनः समीक्षा
- ✚ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में संतुलन
- ✚ वित्तीय संरचना में पारदर्शिता

संयुक्त राष्ट्र का बजट कुछ सीमित देशों पर निर्भर है। इससे उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। आवश्यक है कि—

- ✚ अधिक सदस्य देश नियमित योगदान दें
- ✚ वैकल्पिक वित्त पोषण के स्रोत (जैसे वैश्विक कर) तलाशे जाएँ
- ✚ निर्णय प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण

नीति निर्माण और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विकेंद्रीकरण से अधिक प्रभावशीलता लाई जा सकती है। क्षेत्रीय संगठन (जैसे अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ) के साथ अधिक समन्वय भी लाभकारी हो सकता है।

शांति रक्षा अभियानों का आधुनिकीकरण— संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को नई तकनीकों, ड्रोन, उपग्रह निगरानी और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

जवाबदेही और पारदर्शिता— यूएन मिशनों में मानवीय अधिकारों के उल्लंघन (जैसे शांति रक्षकों द्वारा उत्पीड़न के आरोप) ने इसकी छवि को नुकसान पहुँचाया है। एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र की स्थापना आवश्यक है।

वैश्विक जन-सहभागिता— संयुक्त राष्ट्र को नागरिक समाज, युवाओं, महिला संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ जुड़ाव को बढ़ाना चाहिए ताकि निर्णय प्रक्रिया में विविध दृष्टिकोण शामिल हो सकें।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना और राष्ट्रों के मध्य विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना। विगत दशकों में इस संस्था ने अनेक संघर्षों को टालने, मध्यस्थता करने, तथा शांति स्थापना अभियानों के माध्यम से मानवता की सेवा की है। किंतु जब हम इसके प्रभाव और सीमा का मूल्यांकन करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि इसकी सफलता उतनी व्यापक नहीं रही जितनी अपेक्षित थी।

सुरक्षा परिषद की संरचना, वीटो प्रणाली, वित्तीय निर्भरता, और कार्यप्रणाली की जटिलता ने इस संस्था को कई बार निष्क्रिय बना दिया। आज के बहुध्रुवीय विश्व में जब शक्ति का संतुलन बदल चुका है, तो एकपक्षीय वीटो अधिकार वैश्विक लोकतंत्र की अवधारणा को चुनौती देता है। इसी प्रकार, क्षेत्रीय संघर्षों, जलवायु संकट, जैविक आपात स्थितियों और साइबर खतरों जैसे आधुनिक संकटों के समक्ष संयुक्त राष्ट्र की पारंपरिक रणनीतियाँ अपर्याप्त साबित हो रही हैं।

अतः आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र को केवल एक मंच नहीं, बल्कि एक सक्रिय, उत्तरदायी और न्यायपूर्ण संस्था के रूप में पुनर्गठित किया जाए। सुधार की दिशा में संरचनात्मक बदलाव, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, और वैश्विक नागरिक सहभागिता जैसे कदम अनिवार्य हैं। जब तक यह संस्था वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार स्वयं को ढालने में असमर्थ रहेगी, तब तक इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न बने रहेंगे।

इस शोध का तर्कपूर्ण निष्कर्ष यही है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार केवल विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। ताकि यह संस्था 21वीं सदी में न केवल शांति का प्रतीक बनी रहे, बल्कि प्रभावी वैश्विक नेतृत्व भी प्रदान कर सके।

संदर्भ सूची—

1. बाउत्रोस बाउत्रोस घाली, शांति के लिए एजेंडा, संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, 1992, ISBN: 9789211005090
2. कोफी अन्नान, हस्तक्षेप युद्ध और शांति में एक जीवन, पेंगुइन बुक्स, 2013, ISBN: 9780143123958
3. रमेश ठाकुर, संयुक्त राष्ट्र, शांति और सुरक्षा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006, ISBN: 9780521866470
4. संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, 1945, ISBN: 9789211001597

RESEARCH STREAM**A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal**

Volume 01, Issue 02, December 2024

5. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्टें (विभिन्न वर्ष)
- 6- संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन दस्तावेज़ (UN Peacekeeping Documents), [www-un-org](http://www.un.org)
7. यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO जैसी एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्टें
8. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक शासन पर आधारित हिंदी शोध लेख एवं जर्नल